प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने छह निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आधारभूत लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 तथा भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम, 2002 के नियम 5 (ii) जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया, का कार्य शुरू किया है।

तद्नुसार लेखापरीक्षा द्वारा दूरसंचार विभाग और निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुरक्षित खाता बही एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ की गई कि पी एस पी द्वारा अर्जित राजस्व को सरकार के साथ पी एस पी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्धों के अनुसार सरकार के साथ साझा किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।